05/02/26

पत्रा० पेश हुआ वकु० उप० मूल वाद में P.D. जारी करने बाबत सहमति प्रदान की। उभयपक्ष अधिवक्ता की वहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने उभयपक्षकारान को मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक पाबंद करने का निवेदन किया गया। वहस पर मनन एवं पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि दावा S3 का है एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा P.D. जारी करने हेतु सहमति भी प्रदान की जा चुकी है। ऐसे में मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को विवादित आराजीयात पर मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है।

...हालत .... मुकाम ....

.... बनाम ....

मुकदमा .... नं0 .... सन् ....

...हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व ता... अहकाम जो हुक्म की ता... में जारी हु...
	अतः मूल वाद के अंतिम निस्तारण तक उभयपक्षकारान को मौके व राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति यथावत रखने बाबत पाबंद किया जाता है। एवं पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बरान से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो। एवं मूल वाद के साथ संलग्न की जावे।	